भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4272

उत्तर दिनांक 26/03/2025 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में चुनौतियां

4272. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं तथा भविष्य में भूमि मालिकों को उचित एवं पर्याप्त मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए घरेलू उद्योगों से घटकों की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार की रणनीति क्या है;

(ग) पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए तथा सततता लक्ष्यों का पालन करते हुए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए घरेलू घटकों के पर्याप्त उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) थोरियम आधारित रिएक्टरों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा अपने तीन चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के भाग के रूप में खोजे गए स्थलों की संख्या और ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) सरकार नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है। सरकार परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के लिए राज्यों द्वारा दिए गए पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आरएंडआर) पैकेजों के लिए भी निधि उपलब्ध कराती है और उनके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य करती है।

(ख) व (ग) सरकार ने वर्ष 2017 में 'शीघ्रगामी (फ्लीट) मोड' में प्रत्येक 700 मेगावाट के दस स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है। शीघ्रगामी (फ्लीट) मोड के क्रियान्वयन से उद्योग को व्यवसायिक निरंतरता

मिलेगी और समय-समय पर आदेश प्राप्त होंगे, जिससे उनकी निश्चित और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। विस्तार की भावी योजनाएं और संभावित आवश्यकताएं भी उद्योग के साथ साझा की जाती हैं जिससे वे आधारिक संरचना और मानव संसाधनों के संबंध में अपनी क्षमताओं में वृद्धि की योजना बना सकें। घरेलू उद्योगों को विकास आदेश देकर विशिष्ट उपकरणों के स्वदेशी विकास को और बढ़ावा दिया जाता है।

(घ) भावी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए संभावित स्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया एक सतत गतिविधि है, जिसे परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थायी स्थल चयन समिति (एसएसएससी) द्वारा किया जाता है।

*****